

## एक्सिस बैंक गिफ्ट कार्ड के लिए नियम और शर्तें

ये नियम और शर्तें एक्सिस बैंक गिफ्ट कार्ड ('कार्ड') के उपयोग से जुड़े सभी लेनदेन पर लागू होती हैं और कार्डधारक और बैंक के बीच पूर्ण अनुबंध के रूप में जिसके अधीन कार्ड जारी किया जाता है बैंक। इन नियमों और शर्तों के संबंध में:

- एकवचन के सभी संदर्भों में बहुवचन शामिल होगा और पुल्लिंग लिंग में स्त्रीलिंग शामिल होगा
- खंड शीर्षक केवल सुविधा के लिए हैं और सापेक्ष खंड के अर्थ को प्रभावित नहीं करते हैं
- यदि इसके किसी प्रावधान को सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध, शून्य या अप्रवर्तनीय माना जाता है अधिकार क्षेत्र, इस तरह के प्रावधान को यहां से और शेष शर्तों से हटा दिया गया माना जाएगा और शर्तें लागू और प्रभावी रहेंगी

## परिभाषाएँ

इस दस्तावेज़ में, निम्नलिखित शब्दों और वाक्यांशों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

a. 'एटीएम' का अर्थ है एक स्वचालित टेलर मशीन

ख. कार्ड के संबंध में 'आवेदक' का अर्थ है वह व्यक्ति जो कार्ड के लिए आवेदन करता है और खाता होना

ग. 'उपलब्ध राशि' का अर्थ है कार्ड के संबंध में, के लिए एक निश्चित समय पर उपलब्ध राशि कार्ड पर उपयोग करें, कार्ड खाते में जमा की गई राशि (ओं) का योग होने के नाते क) लेन-देन के लिए कार्ड का उपयोग करके उपयोग की गई राशि और ख) बैंक द्वारा कार्ड खाते में प्रभारित कार्ड पर शुल्क, लागत और व्यय

घ. 'बैंक' का तात्पर्य एक्सिस बैंक लिमिटेड से है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में निगमित कंपनी है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के भीतर एक बैंकिंग कंपनी और इसके 'त्रिशूल' तीसरी मंजिल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, में पंजीकृत कार्यालय, एलिसब्रिज, अहमदाबाद - 380006 और इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल हैं

(ङ) कार्ड के संबंध में 'लाभार्थी' से आवेदक से उपहार के रूप में कार्ड प्राप्त करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है आवेदक की वाचाओं के दायित्वों को मानते हुए और उनसे सहमत होना। हालांकि, बैंक ऐसे अन्य व्यक्ति के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा

च. 'कार्ड' का अर्थ बैंक द्वारा कार्डधारक को जारी किए गए गिफ्ट कार्ड से है, जो इसके अनुसार है

छ. 'कार्डधारक' से कार्ड के संबंध में आवेदक या कार्ड के लाभार्थी का अभिप्रेत है।

ज. 'कार्ड खाता' से बैंक द्वारा कार्ड के संबंध में रखा जाने वाला खाता अभिप्रेत है

i. 'EDC' का अर्थ है एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर टर्मिनल, प्रिंटर, अन्य परिधीय और सहायक और ऐसे उपकरण को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर

ज. 'व्यापारी' या 'व्यापारी प्रतिष्ठान' का अर्थ होगा प्रतिष्ठान जहां कहीं स्थित हैं जो कार्ड स्वीकार / सम्मान करें और दूसरों के बीच शामिल होंगे: दुकानें, रेस्तरां, आदि। बैंक और/या वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे द्वारा विज्ञापित

k. 'POS' का अर्थ है पॉइंट-ऑफ़-सेल टर्मिनल

(ठ) 'लेनदेन' का अर्थ है एक निर्देश या पूछताछ या संचार जैसा कि बैंक में दिखाई दे रहा है। कार्डधारक द्वारा कार्ड का उपयोग करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक को दिए गए या बनाए गए रिकॉर्ड, लेनदेन, चाहे ईडीसी, पीओएस या बैंक के किसी अन्य उपकरण या बैंक के साझा नेटवर्क के माध्यम से

m. 'VISA' Visa International के स्वामित्व वाले ट्रेडमार्क को इंगित करता है

n. 'मास्टरकार्ड' का अर्थ है मास्टरकार्ड के स्वामित्व वाला ट्रेडमार्क

ण. 'रुपे' का अर्थ है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के स्वामित्व वाला ट्रेडमार्क

## 1. कार्ड वैधता और उपयोग

1.1. कार्ड कार्ड बनाने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए वैध है।

1.2 कार्ड की अधिकतम वैधता उदाहरण की तारीख (जुलाई-14 से जुलाई-15) से शुरू होने वाला एक वर्ष है। वही कार्ड इसकी वैधता अवधि के रूप में इंगित महीने के अंतिम दिन तक वैध होगा। हालांकि, इससे पहले एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर कार्ड वैध रहना बंद कर देगा यदि कार्ड में शेष राशि पहुंच जाती है शून्य।

1.3 कार्ड या लेनदेन के संबंध में बैंक को सभी संचार केवल निम्नलिखित द्वारा किए जाने चाहिए उम्मीदवार। कार्ड के संबंध में बैंक द्वारा कोई भी संचार बैंक के माध्यम से प्रदान किया जाएगा वेबसाइट या सीधे आवेदक को सूचित किया जाएगा।

1.4 कार्ड का उपयोग तत्कालीन उपलब्ध राशि तक के लेनदेन के लिए किया जा सकता है।

1.5 कार्डधारक द्वारा कार्ड का उपयोग किया जाएगा और यह हस्तांतरणीय नहीं है।

1.6 कार्ड पर किए गए लेनदेन पर, इस तरह के लेनदेन के बाद एक नई उपलब्ध राशि पर पहुंचने के लिए ऐसी राशि को तत्कालीन उपलब्ध राशि से घटा दिया जाएगा। यदि लेनदेन की प्रक्रिया के लिए कार्ड में पर्याप्त उपलब्ध राशि मौजूद नहीं है, तो लेनदेन संसाधित नहीं किया जाएगा।

1.7 कार्ड के उपयोग को एक्सिस के नियमों और शर्तों की स्वीकृति माना जाएगा बैंक प्रीपेड कार्ड।

1.8 गिफ्ट कार्ड पर नकद आहरण सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

1.9 कार्ड पर उपलब्ध/लोड की गई राशि पर बैंक द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

1.10 कार्डधारक केवल एक बार कार्ड का भरण कर सकेगा जो अधिकतम मूल्य ' 10,000/- के अधधीन होगा।

(रुपये दस हजार केवल) या ऐसी अन्य सीमा जो द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है बैंक आंतरिक और लागू विनियामक और सांविधिक दिशानिर्देशों के अधीन है। कार्ड को पुनः लोड नहीं किया जा सकता उसके बाद कार्डधारक और/या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।

1.11 एक्सिस बैंक गिफ्ट कार्ड केवल भारत में किसी भी वीजा/मास्टरकार्ड/रुपे सक्षम मर्चेट आउटलेट टर्मिनलों और ऑनलाइन पोर्टलों पर उपयोग की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं।

1.12 बैंक शेष पूछताछ के लिए कार्ड के साथ-साथ इंटरनेट बैंकिंग अभिगम भी प्रदान करता है और केवल कथन क्रेरी. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सभी फंड ट्रांसफर सुविधाएं अवरुद्ध हैं।

1.13 कार्ड में कोई भी मूल्य जिसका उपयोग जारी करने की तारीख से 10 वर्षों के भीतर उपयोग नहीं किया गया है या वापस नहीं लिया गया है जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

## 2. कार्ड के लिए आवेदन

2.1 कार्ड प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को गिफ्ट कार्ड आवेदन-सह-जमा में बैंक को आवेदन करना चाहिए कार्ड खाते में जमा की जाने वाली राशि के साथ बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र।

2.2 बैंक को बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन पर विचार न करने का अधिकार होगा।

2.3 बैंक कार्डधारक द्वारा जमा की गई राशि को कार्ड के संबंध में बैंक में जमा करेगा कार्ड से संबंधित कार्ड खाते में।

## 3. कार्ड सुरक्षा

3.1 कार्डधारक कार्ड की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा और इस दिशा में सभी कदम सुनिश्चित करेगा कार्ड का सुरक्षित उपयोग।

3.2 यदि आवेदक कार्ड का उपयोग करता है तो उसे कार्ड प्राप्त होने पर कार्ड के पीछे हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है इसके अनाधिकृत उपयोग से बचें। यदि आवेदक कार्ड किसी अन्य व्यक्ति को उपहार में दे रहा है तो कार्ड के लाभार्थी को कार्ड प्राप्त होने पर कार्ड के पीछे हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है ताकि इसके अनधिकृत उपयोग से बचा जा सके।

## 4. व्यापारी स्थान और पॉइंट-ऑफ-सेल उपयोग

4.1 एटीएम, पॉइंट ऑफ़ सेल या मर्चेट लोकेशन पर नकद निकासी या जमा की अनुमति नहीं है।

4.2 कार्ड मर्चेट आउटलेट और ऑनलाइन मर्चेट के सभी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल पर स्वीकार किया जाता है भारत में प्रतिष्ठान जो वीजा/मास्टरकार्ड/रुपे लोगो प्रदर्शित करते हैं।

4.3 किसी भी परिसर में प्रदर्शित वीजा/मास्टरकार्ड/रुपे प्रतीक के लिए कार्ड प्रचार सामग्री है

वारंटी नहीं है कि उन परिसरों में उपलब्ध सभी वस्तुओं और सेवाओं को कार्ड से खरीदा जा सकता है। कार्ड इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के लिए है और केवल एक व्यापारी पर स्वीकार्य होगा जिसके पास ईडीसी टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉनिक उपयोग को छोड़कर कार्ड का कोई भी प्रयोग अनधिकृत माना जाएगा और कार्डधारक ऐसे लेनदेनों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। इलेक्ट्रॉनिक उपयोग का निर्माण ईडीसी टर्मिनल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मुद्रित चार्ज स्लिप/ट्रांजेक्शन स्लिप पर किया जाता है।

4.4 कार्ड तभी सम्मानित किया जाएगा जब उस पर कार्डधारक के हस्ताक्षर हों।

4.5 ईडीसी टर्मिनल द्वारा बिक्री पर्ची उत्पन्न करने के बाद लेनदेन को अधिकृत और पूर्ण माना जाता है।

4.6 कार्डधारक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्ड का उपयोग मर्चेट स्थान पर केवल एक बार किया गया है। कार्ड का उपयोग किए जाने पर हर बार बिक्री पर्ची मुद्रित की जाएगी और कार्डधारक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खरीदारी के समय मर्चेट स्थान पर कार्ड का कई बार उपयोग न हो।

4.7 बैंक कार्डधारक द्वारा मर्चेट के साथ किए जाने वाले किसी भी लेन-देन की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा सहित लेकिन माल और सेवाओं की आपूर्ति तक सीमित नहीं है। यदि कार्डधारक को किसी वीजा/मास्टरकार्ड/रूपे मर्चेट प्रतिष्ठानों के संबंध में कोई शिकायत है, तो मामले को कार्डधारक द्वारा मर्चेट प्रतिष्ठान के साथ हल किया जाना चाहिए और ऐसा करने में विफल रहने पर कार्डधारक को बैंक के प्रति किसी भी दायित्व से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि, कार्डधारक को तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए।

4.8 बैंक किसी व्यापारी द्वारा लगाए गए और कार्ड से डेबिट किए गए किसी भी अधिभार के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है खाता।

4.9 जब भी किसी व्यापारी के यहां कार्ड का उपयोग किया जाए तो कार्डधारक को बिक्री पर्ची पर हस्ताक्षर करके अपने पास रख लेना चाहिए स्थापना। बैंक अतिरिक्त प्रभार पर बिक्री पर्ची की प्रतियां प्रस्तुत कर सकता है। कोई बिक्री पर्ची नहीं कार्डधारक द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित, लेकिन जिसे कार्डधारक द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, कार्डधारक का दायित्व होगा।

4.10 भुगतान के लिए बैंक द्वारा किसी व्यापारी से प्राप्त कोई शुल्क या अन्य भुगतान मांग, निर्णायक प्रमाण होगा कि इस तरह की मांग पर दर्ज शुल्क व्यापारी द्वारा राशि में और कार्डधारक द्वारा उस शुल्क या अन्य मांग में संदर्भित कार्डधारक द्वारा उचित रूप से वहन किया गया था, जैसा भी मामला हो, कार्ड के उपयोग से, सिवाय जहां कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है या धोखाधड़ी से दुरुपयोग किया गया है, जिसका प्रमाण कार्डधारक के पास होगा।

4.11 यदि कोई व्यापारी किसी त्रुटि के कारण या माल वापसी, पहले की बिक्री रसीद को व्यापारी द्वारा रद्द कर दिया जाना चाहिए और की एक प्रति रद्द की गई रसीद को उसके कब्जे में रखा जाना चाहिए। किसी भी व्यापारी के कारण सभी धनवापसी और समायोजन / डिवाइस त्रुटि या संचार लिंक को मैनुअल रूप से संसाधित किया जाना चाहिए और खाते को बाद में क्रेडिट किया जाएगा उचित सत्यापन और वीजा/मास्टरकार्ड/रूपे नियमों और विनियमों के अनुसार जो लागू होते हैं। कार्डधारक इस बात से सहमत है कि इस समय के दौरान प्राप्त किसी भी डेबिट को केवल

इस धनवापसी पर विचार किए बिना कार्ड पर उपलब्ध शेष राशि। कार्डधारक बैंक को क्षतिपूर्ति भी करता है भुगतान निर्देशों का अनादर करने के ऐसे कृत्यों से।

4.12 कार्ड का उपयोग होटलों में चेक-इन के दौरान और भुगतान करने वाले अन्य स्थानों पर नहीं किया जाना है खरीद लेनदेन या सेवाओं के पूरा होने से पहले व्यवस्था की जाती है।

4.13. कार्ड का प्रयोग किसी मेल ऑर्डर/फोन आर्डर की खरीद के लिए नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे किसी भी प्रयोग को अनधिकृत माना जाएगा तथा कार्डधारक ही पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

कार्ड का उपयोग विदेशी पत्रिकाओं/पत्रिकाओं और किसी भी कार्ड की सदस्यता के भुगतान के लिए नहीं किया जाना चाहिए

इस तरह के उपयोग को अनधिकृत माना जाएगा और कार्डधारक पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

4.14 किसी भी ईडीसी/पीओएस पर कार्ड के उपयोग पर सेवा प्रभार और/या लेनदेन शुल्क लग सकता है; और / या प्रसंस्करण शुल्क और / या कार्ड पर लगाया जा रहा प्रसंस्करण शुल्क।

4.15 ऐसे सभी प्रभारों की कटौती उपलब्ध राशि से की जाएगी, चाहे ऐसी पूर्व सूचना दी गई हो या नहीं कार्डधारक को शुल्क दिया जाता है।

4.16 कार्डधारक को सूचित किया जाता है कि वह लेनदेनों का रिकॉर्ड अपने पास रख ले।

## **5. कार्डधारकों के दायित्व और अनुबंध**

5.1 कार्डधारक को अपना पता बदलने के मामले में तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए।

5.2 कार्डधारक को हर समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्ड सुरक्षित स्थान पर रखा गया है।

5.3 कार्ड बैंक की संपत्ति है और अनुरोध पर बैंक के अधिकृत व्यक्ति को लौटा दिया जाना चाहिए। कार्डधारक यह सुनिश्चित करेगा कि कार्ड सौंपने से पहले बैंक के अधिकृत कर्मियों की पहचान स्थापित कर ली गई है।

5.4 कार्डधारक सभी लेनदेन और संबंधित शुल्कों के लिए उत्तरदायी होगा।

5.5 कार्डधारक यह स्वीकार करता है कि उसके अनुरोध और जोखिम पर बैंक उसे कार्ड प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है, और

अपने कार्ड के उपयोग द्वारा दर्ज किए गए सभी लेनदेन के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता है।

5.6 कार्ड के माध्यम से दिया गया निर्देश अप्राप्य होगा।

5.7 कार्डधारक, सभी परिस्थितियों में, कार्ड के उपयोग के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करेगा, चाहे या उसके ज्ञान या उसके अधिकार के साथ संसाधित नहीं किया गया, व्यक्त या निहित।

5.8 कार्डधारक बैंक को निम्नलिखित के लिए कार्ड का उपयोग करके उपयोग की गई राशि को डेबिट करने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करता है  
उसके कार्ड खाते में लेनदेन।

5.9 कार्डधारक को चाहिए कि वह बैंक को उसके कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति रहित और हानिरहित रखेगा और लेन-देन पर आधारित कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में रखेगा।

5.10 बैंक लेनदेनों को करने के लिए भरसक प्रयास करेगा परंतु कोई दायित्व वहन नहीं करेगा या तो कार्डधारक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी कारण से, जिसमें लेनदेन या निर्देश को पूरा करने में देरी या असमर्थता शामिल है।

5.11 कार्डधारक लेनदेन या कार्ड खाते में प्रविष्टि के बारे में सभी विवादों को लाने के लिए सहमत है इस तरह के लेनदेन या प्रविष्टि की तारीख से 7 दिनों के भीतर बैंक की सूचना, जिसके अभाव में सभी लेन-देन और कार्ड खाता प्रविष्टियों का निर्माण कार्डधारक द्वारा सही और स्वीकृत किया जाएगा।

5.12 कार्डधारक कार्ड को बैंक को तभी लौटाएगा जब कार्ड की आवश्यकता न हो या उसकी अवधि समाप्त हो गई हो या उसकी पुनर्प्राप्ति हो जाए खो जाने की सूचना के बाद।

5.13 कार्डधारक अपने कार्ड का उपयोग उन खुदरा प्रतिष्ठानों में खरीदारी के भुगतान के लिए कर सकता है जो कार्ड स्वीकार करने के लिए सहमत हैं और जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल से लैस हैं जो वीज़ा/मास्टरकार्ड/रूपे लेनदेन की प्रक्रिया कर सकते हैं। यदि कार्डधारक किसी और को अपने कार्ड का उपयोग करने की अनुमति देता है। हम इसका इलाज करेंगे जैसे कि

5.14. कार्डधारक ने उस व्यक्ति को अपने कार्ड का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत किया है और कार्डधारक ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने कार्ड के साथ शुरू किए गए किसी भी लेनदेन के लिए जिम्मेदार होगा. पॉइंट-ऑफ-सेल डिवाइस या अन्य खरीद लेनदेन के माध्यम से किसी भी खरीद पर, कार्ड पर उपलब्ध राशि ऐसी खरीद की राशि से कम हो जाएगी।

5.15 कार्डधारक बैंक को कार्ड पर खर्च की गई ऐसी सभी राशियां भुगतान करने के लिए सहमत होता है, जो उस राशि के मूल्य से अधिक होती हैं।

कार्ड की खरीद पर क्रेता द्वारा भुगतान किया जाता है जैसे रेस्तरां युक्तियाँ और अन्य अधिभार।

5.16 कार्डधारक को कार्ड में बकाया शेष राशि को भुनाने की अनुमति दी जाएगी, यदि किसी कारण से इस योजना को बंद किया जा रहा है अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे बंद करने का निर्देश दिया गया है।

5.17 कार्डधारक क्रिप्टो मुद्रा की खरीद के लिए कार्ड का उपयोग नहीं करेगा

## **6. कार्ड का नुकसान**

6.1 यदि कार्ड खो जाता है तो कार्डधारक को टेलीफोन पर बैंक को ऐसे नुकसान की सूचना तत्काल देनी चाहिए (फोन बैंकिंग) या बैंक को लिखित संचार के माध्यम से।

6.2 कार्डधारक को पुलिस के पास कार्ड खोने की रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए और उसकी एक प्रति बैंक को भेजनी चाहिए।

6.3 बैंक खोए हुए कार्ड की रिपोर्ट के सत्यापन के बाद कार्ड को अस्थायी रूप से निलंबित (हॉट लिस्ट) कर देगा इस तरह के खोए हुए कार्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने के दिन के बाद कार्य दिवस।

6.4 कार्डधारक अपने कार्ड पर किए गए सभी लेनदेनों के लिए तब तक उत्तरदायी बना रहेगा जब तक वह बैंक को अपने कार्ड के खो जाने की सूचना नहीं देता.

6.5 कार्ड खो जाने की स्थिति में, कार्डधारक और अप्रयुक्त व्यक्ति को एक प्रतिस्थापन कार्ड जारी किया जाएगा कार्ड जारी करने के प्रभारों की कटौती के बाद शेष राशि को कार्ड बदलने वाले कार्ड में अंतरित कर दिया जाएगा।

## 7. अप्रयुक्त कार्ड राशि

7.1 ग्राहकों को पीपीआई की वैधता अवधि समाप्त होने से 45 दिन पहले सूचित किया जाएगा उपलब्ध चैनलों में से किसी एक जैसे एसएमएस/ईमेल के माध्यम से।

7.2 कार्ड की समाप्ति की तारीख को या उसके बाद धारक द्वारा खरीदे गए बैंक के समान नए भुगतान लिखत में किसी भी बकाया राशि के अंतरण की अनुमति दी जा सकती है।

## कार्ड निष्क्रियता

1. यदि एक वर्ष की लगातार अवधि के लिए कोई वित्तीय लेनदेन नहीं किया जाता है तो कार्डधारक को सूचित करने के साथ बैंक द्वारा कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
2. बैंक शाखाओं और/या नामित व्यवसाय प्रतिनिधियों द्वारा ग्राहक द्वारा सत्यापन के बाद ही कार्ड को पुनः सक्रिय किया जा सकता है।
3. ऐसे कार्ड भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके अनुदेशों के अनुसार सूचित किए जाएंगे

## 8. फीस और शुल्क

8.1 प्रारंभिक कार्ड शुल्क बैंक को अग्रिम रूप से देय होगा।

8.2 बैंक किसी भी समय कार्डधारक से निम्नलिखित के लिए कोई शुल्क/प्रभार वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कार्ड पर किए गए लेनदेन। लागू शुल्क और प्रभारों का विवरण बैंक से प्राप्त किया जा सकता है और समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं।

8.3 कार्ड के उपयोग के परिणामस्वरूप कोई भी सरकारी शुल्क, या विवरण, या देय कर होगा कार्डधारक की जिम्मेदारी।

8.4 कार्डधारक बैंक को अपने कार्ड की शेष राशि से कटौती करने के लिए प्राधिकृत करता है और बैंक को ऐसे किसी भी व्यय की क्षतिपूत करता है जो बैंक कार्डधारक को उसके कार्ड के संबंध में बैंक को देना होता है (जिसमें बिना किसी सीमा के कानून द्वारा अनुमत सीमा तक वकील की फीस शामिल है)।

8.5 कार्डधारक द्वारा देय और देय राशि, यदि अलग से भुगतान नहीं की जाती है, तो बैंक द्वारा वसूल की जा सकती है उपलब्ध राशि से या कार्डधारक के बैंक के साथ किसी अन्य खाते के डेबिट करने के लिए।

| शुल्क विवरण | गिफ्ट कार्ड |
|-------------|-------------|
| वैधता       | 1 वर्ष      |

|   |        |
|---|--------|
| नकद निकासी  | नहीं   |
| जारी करने का शुल्क  | 100 रु |
| वार्षिक शुल्क:  | शून्य  |
| लोड हो रहा है शुल्क   | शून्य  |
| कार्ड बदलना   | 100 रु |
| मोचन शुल्क  | 100 रु |
| एटीएम नकद निकासी शुल्क- जिम्मेदारी  | ना     |
| एटीएम नकद निकासी शुल्क- ऑफस- प्रति माह पांच लेनदेन मुफ्त  | ना     |
| गैर-वित्तीय लेनदेन - जिम्मेदारी - बैलेंस पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, पिन रीसेट                        | शून्य  |
| गैर-वित्तीय लेनदेन - ऑफस - बैलेंस पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, पिन रीसेट - प्रति माह पांच लेनदेन मुफ्त | 10 रु  |

## 9. सुविधाओं में बदलाव

9.1 बैंक अपने विवेकानुसार कार्ड के उपयोग के लिए अधिक ईडीसी, पीओएस, ऑनलाइन उपलब्ध करा सकता है या साझा नेटवर्क के माध्यम से अन्य सेवाएं। कार्डधारक समझता है और सहमत है कि इस तरह नेटवर्क विभिन्न सेवाओं और / या स्थानों के लिए अलग-अलग कार्यक्षमता, सेवा प्रसाद और अलग-अलग शुल्क प्रदान कर सकते हैं।

9.2 बैंक, अपने विवेकाधिकार में, किसी भी समय, कार्डधारक को नोटिस दिए बिना, निम्नलिखित का हकदार होगा ईडीसी, पीओएस, ऑनलाइन और अन्य सेवाओं तक पहुंच के आधार पर कार्ड और/या इससे संबंधित सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा को वापस लेना, बंद करना, रद्द करना, निलंबित / या समाप्त करना और ऐसे निलंबन या समाप्ति से किसी भी तरह से होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए कार्डधारक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

9.3 रखरखाव: जबकि रखरखाव कार्य की अग्रिम सूचना सेवाओं की उपलब्धता को प्रभावित करने की संभावना है, बैंक बिना किसी सूचना के, ईडीसी, पीओएस, ऑनलाइन तक पहुंच को निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

अन्य समान उपकरण या सभी या किसी भी सेवा का प्रावधान, किसी भी समय, यदि बैंक ऐसा करना आवश्यक समझता है, चाहे नियमित रखरखाव के लिए या किसी अन्य कारण से। मुद्रित लेनदेन रिकॉर्ड, शेष सूचना विवरण, त्रुटियां,

## 10. शिकायतें: अनधिकृत लेनदेन और ग्राहक शिकायतें

10.1 किसी अनधिकृत लेनदेन के लिए बैंक या ग्राहक की देयता होगी:

10.1.1 ग्राहक का शून्य दायित्व - शून्य देयता के लिए ग्राहक की पात्रता उत्पन्न होगी जहां अनधिकृत लेनदेन निम्नलिखित तरीके से होता है:

(ए) बैंक की ओर से अंशदायी धोखाधड़ी/लापरवाही/कमी (भले ही ग्राहक द्वारा लेनदेन की सूचना दी गई हो या नहीं)  
(ख) थर्ड पार्टी ब्रीच जहां कमी न तो बैंक के साथ है और न ही ग्राहक के साथ है, बल्कि झूठ है  
सिस्टम में कहीं और, और ग्राहक प्राप्त करने के तीन कार्य दिवसों के भीतर बैंक को सूचित करता है  
अनधिकृत लेनदेन के बारे में बैंक से पत्र।

10.1.2 ग्राहक का सीमित दायित्व - निम्नलिखित मामलों में अनधिकृत लेनदेनों के कारण होने वाली हानि के लिए ग्राहक उत्तरदायी होगा :

(ए) ऐसे मामलों में जहां नुकसान ग्राहक द्वारा लापरवाही के कारण होता है, जैसे कि जहां उसने भुगतान साझा किया है  
क्रेडेंशियल्स में, ग्राहक तब तक पूरा नुकसान वहन करेगा जब तक कि वह अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट नहीं करता  
खाता होना। अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्टिंग के बाद होने वाली किसी भी हानि को बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।

(ख) ऐसे मामलों में जहां अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन का उत्तरदायित्व न तो बैंक का है और न ही ग्राहक  
का, बल्कि प्रणाली में कहीं और है और जब ग्राहक की ओर से निम्नलिखित में विलंब होता है (बैंक से सूचना प्राप्त होने  
के बाद चार से सात कार्य दिवसों का)।

ऐसे लेन-देन के बारे में बैंक को सूचित करना, ग्राहक की प्रति लेनदेन देयता निम्नलिखित तक सीमित होगी  
लेनदेन मूल्य या रु. 10,000/- जो भी कम हो।

10.1.3 यदि ग्राहक संचार प्राप्त करने के सात कार्य दिवसों के बाद बैंक को सूचित करता है  
अनधिकृत लेनदेन के संबंध में बैंक से प्राप्त होने पर, ग्राहक की देयता का निर्धारण निम्नलिखित के अनुसार किया  
जाएगा

बैंक बोर्ड ने नीति को मंजूरी दी। बैंक अपने बोर्ड के अनुसार इसका मूल्यांकन और निर्धारण करेगा  
अनुमोदित नीति

वृद्धि विवरण के लिए, एक्सिस बैंक की वेबसाइट ([www.axisbank.com](http://www.axisbank.com)) पर जाएं और बैंक की शिकायत के माध्यम से  
जाएं  
निवारण नीति

10.1.4 आपके निर्देशों के सभी रिकॉर्ड और बैंक द्वारा बनाए गए ऐसे अन्य विवरण (जिनमें किए गए या प्राप्त किए गए  
भुगतान शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) हैं, इलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेजी रूप में, आपके खिलाफ, ऐसे निर्देशों  
और ऐसे अन्य विवरणों का निर्णायक साक्ष्य माना जाएगा।

10.1.5 रिपोर्टिंग के समय और/या खाते पर किए गए लेनदेन/संव्यवहारों से संबंधित किसी भी विवाद के मामले में  
या उक्त खाते के संबंध में कोई अन्य मामला, बैंक समय का पता लगाने का अधिकार सुरक्षित रखेगा  
और/या विवादित लेनदेन की प्रामाणिकता और तीसरे पक्ष की धोखाधड़ी के कारण आपके कार्ड खाते में अनधिकृत  
लेनदेन के मामले में आपकी देयता या जहां आपने धोखाधड़ी के लिए योगदान नहीं किया है, "ग्राहक संरक्षण-  
अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता" पर आरबीआई परिपत्र में दिए गए दिशानिर्देशों के  
अनुसार संचालित होगा। समय की बात।

10.1.6 अधिक सहायता के लिए वेबसाइट देखें [www.axisbank.com/support](http://www.axisbank.com/support)

## 11. सूचना का प्रकटीकरण

11.1 बैंक अन्य संस्थानों को ऐसी जानकारी का खुलासा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो

कार्ड या कार्डधारक के संबंध में आवश्यक या उपयुक्त हो सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेटवर्क में भागीदारी।

11.2 ईडीसी, पीओएस, ऑनलाइन/अन्य उपकरणों पर कार्ड का उपयोग कार्डधारक की एक्सप्रेस का गठन करेगा अनुमति

- कार्ड शेष जानकारी की पहचान और प्रसंस्करण के संग्रह, भंडारण, संचार और प्रसंस्करण के लिए उचित लेनदेन रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए बैंक के लिए आवश्यक किसी भी माध्यम से
- प्रतिभागियों और प्रोसेसर नेटवर्क/कार्डधारक के खाते के विवरण के अन्य नेटवर्क और लेन-देन की जानकारी और कार्ड को ईडीसी, पीओएस, ऑनलाइन/अन्य डिवाइस पर उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक अन्य डेटा जारी करना और प्रेषित करना
- बैंक में उक्त प्रतिभागियों और प्रोसेसर द्वारा ऐसी जानकारी और डेटा को बनाए रखने के लिए / अन्य नेटवर्क
- बैंक के नेटवर्क/अन्य नेटवर्क में उक्त प्रतिभागियों और प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा अनुपालन के लिए जानकारी के प्रकटीकरण को नियंत्रित करने वाले कानून और विनियम जिनके लिए ऐसे प्रतिभागी और प्रोसेसर हैं विषय
- लेन-देन के बारे में तीसरे पक्ष को जानकारी का खुलासा करने के लिए, जहां यदि आवश्यक हो तो, लेन-देन पूरा करना, या जब कानून या सरकारी एजेंसी या अदालत के आदेशों का पालन करना आवश्यक हो या कानूनी कार्यवाही या जब कार्डधारक द्वारा उठाए गए या क्रम में त्रुटियों या प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक हो बैंक की आंतरिक डेटा प्रोसेसिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए

11.3 कार्डधारक एतद्वारा बैंक को किसी भी समय और किसी भी उद्देश्य के लिए, अपने व्यक्तिगत विवरण, कार्ड लेनदेन, या बैंक के साथ लेन-देन से संबंधित किसी भी जानकारी, प्रधान कार्यालय या किसी अन्य शाखाओं, सहायक कंपनियों, या संबद्ध या संबद्ध निगमों, जहां भी स्थित हो, भारत में या कहीं और किसी भी सरकारी या नियामक एजेंसियों या प्राधिकरणों को प्रकट करने के लिए बैंक को स्पष्ट रूप से अधिकृत करता है, जिन्होंने किसी भी एजेंट या ठेकेदार को निष्पादित करने के लिए एक समझौते में प्रवेश किया है बैंक के लिए सेवा लाभ और कोई अन्य व्यक्ति (ओं) जो भी कानून द्वारा प्रकटीकरण की आवश्यकता है या अन्यथा जिसे बैंक इस तरह के प्रकटीकरण करने के लिए उपयुक्त समझता है।

11.4 इसके अंतर्गत खातों के संबंध में दायित्व केवल बैंक शाखा में देय हैं जो कार्ड जारी किया गया था और स्थानीय कानूनों के अधीन हैं (सहित, बिना सीमा के, कोई भी राजकोषीय और विनियम नियंत्रण विनियमन सहित सरकारी कृत्यों, आदेशों, फरमानों और विनियमों)।

## 12. बैंक का अधिकार'

12.1 बैंक अपने विवेकाधिकार पर कार्ड को वापस ले सकता है या निलंबित कर सकता है या इसकी किसी भी विशेषता में संशोधन कर सकता है कार्डधारकों को सूचना दिए बिना।

12.2 बैंक के पास ऐसा लेन-देन न करने का विवेकाधिकार होगा जहां उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि कार्ड का उपयोग अधिकृत नहीं है या लेनदेन वास्तविक या अस्पष्ट नहीं प्रतीत होता है या जैसे कि संदेह या इसे किसी भी कारण से लागू नहीं किया जा सकता है।

12.3 क्या कार्डधारक द्वारा दिया गया कोई भी निर्देश बैंक द्वारा अधिक रूप से निष्पादित किए जाने में सक्षम होना चाहिए?

एक से अधिक तरीकों से, बैंक अपने विवेकाधिकार पर उक्त निर्देशों में से किसी एक में उक्त निर्देश को निष्पादित कर सकता है।

### 13. व्यापारियों के साथ कार्डधारक विवाद

13.1 कार्डधारक के हस्ताक्षर के साथ एक बिक्री पर्ची/इलेक्ट्रॉनिक पर्ची और कार्ड नंबर नोट किया गया इस पर बैंक और कार्डधारक के बीच कार्डधारक द्वारा वहन की गई देयता की सीमा के बारे में निर्णायक साक्ष्य होंगे।

13.2 बैंक गुणवत्ता, मूल्य वारंटी, डिलीवरी में देरी के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा, कार्डधारक द्वारा प्राप्त किसी भी सामान या सेवाओं की गैर-डिलीवरी गैर-प्राप्ति।

13.3 यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि कार्ड सुविधा कार्डधारक के लिए विशुद्ध रूप से सामान खरीदने या सेवाओं का लाभ उठाने की सुविधा है और बैंक गुणवत्ता, मूल्य, वितरण या अन्यथा के बारे में कोई वारंटी नहीं देता है या कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है, चाहे वह माल या सेवाओं से संबंधित हो, और विवाद को सीधे व्यापारी प्रतिष्ठान के साथ हल किया जाना चाहिए। हालांकि, कार्डधारक व्यापारी के साथ विवाद के बारे में बैंक को रिपोर्ट करेगा, स्थानों के नाम, लेनदेन की तारीख और समय और अन्य विवरणों का विवरण देगा जो बैंक को उसकी जांच में सहायता करेगा।

13.4 बैंक पीड़ित कार्डधारक के निम्नलिखित के समाधान के लिए सदाशयी और उचित प्रयास करेगा की प्राप्ति के दो महीने के भीतर बयान में इंगित लागू शुल्क से असहमति असहमति की सूचना। यदि इस तरह के प्रयास के बाद, बैंक यह निर्धारित करता है कि दर्शाया गया शुल्क सही है तो वह कार्डधारक को बिक्री पर्ची या भुगतान मांग की एक प्रति सहित विवरण के साथ सूचित करेगा।

13.5 बैंक किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा कार्ड का सम्मान करने से इनकार करने के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

13.6 बैंक ने कुछ व्यापारियों के साथ छूट प्रदान करने के लिए एक समझौता किया है खरीदे गए माल / प्राप्त सेवाओं के संबंध में कार्डधारक। हालांकि, बैंक ऐसे व्यापारियों के साथ कार्डधारक के किसी भी विवाद के लिए जिम्मेदार या जवाबदेह नहीं होगा।

### 14. दायित्व से बहिष्करण

14.1 पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक निम्नलिखित से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली किसी हानि या क्षति के संबंध में कार्डधारक के प्रति किसी भी प्रकार का दायित्व नहीं रखेगा:

- आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं में कोई दोष
- कार्ड का सम्मान करने या स्वीकार करने से किसी भी व्यक्ति का इनकार
- किसी भी इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल या ऑनलाइन मर्चेन्ट की खराबी
- कार्ड की वापसी का अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी बयान या किसी के द्वारा किया गया कोई भी कार्य

संयोजन के रूप में व्यक्ति

- बैंक द्वारा कार्ड की समाप्ति तिथि से पहले कार्ड के अभ्यर्पण की मांग करने और प्राप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग, चाहे ऐसी मांग और समर्पण बैंक द्वारा या किसी व्यक्ति या कंप्यूटर टर्मिनल द्वारा किया गया और/या प्राप्त किया गया हो
- बैंक द्वारा किसी भी कार्ड को समाप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग
- आवेदक के क्रेडिट चरित्र और प्रतिष्ठा को कोई भी चोट लगने का आरोप लगाया गया है

कार्ड को वापस लेना और/या, इसकी वापसी के लिए कोई अनुरोध या कार्ड का सम्मान करने या स्वीकार करने के लिए किसी भी व्यापारी प्रतिष्ठान का इनकार

- बैंक को बताए गए किसी भी विवरण में कोई गलत बयान, गलत बयानी, त्रुटि या चूक
- सर्वेंट लोकेशन पर किसी भी कारण से लेनदेन की गिरावट

14.2 बैंक कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है और किसी भी सेवा विफलताओं या व्यवधान (डेटा की हानि सहित, लेकिन सीमित नहीं) के लिए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो सिस्टम या उपकरण की विफलता के कारण या तृतीय पक्ष उत्पादों या अन्योन्याश्रितताओं पर बैंक द्वारा निर्भरता के कारण होता है, जिसमें बिजली या दूरसंचार शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

14.3 बैंक ईश्वरीय कृत्यों, दंगों, नागरिक हंगामाओं, विद्रोह, युद्धों, या इसके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण, या इसके नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारणों से अपने व्यवसाय में रुकावट से उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए कोई दायित्व या जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है, या किसी भी हड़ताल या तालाबंदी द्वारा।

14.4 यदि कोई ईडीसी, पीओएस या इसी तरह का उपकरण या ऑनलाइन पोर्टल खराब हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कार्डधारक को नुकसान होता है लेन-देन की कुछ या सभी राशि, और इस तरह के नुकसान की पुष्टि बैंक द्वारा बैंक के रिकॉर्ड के सत्यापन के माध्यम से की जाती है, बैंक सेवा शुल्क के लिए किसी भी समायोजन सहित आपके कार्ड में कोई भी समायोजन करके उस नुकसान को ठीक करेगा, यदि कोई हो।

14.5 कार्डधारक को किसी भी कारण से होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा कार्डधारक के निर्देशों का पालन करने में विफलता, जब ऐसी विफलता पर कारण के कारण होती है बैंक का नियंत्रण, इस संबंध में बैंक की राय अंतिम है।

14.6 कार्ड सुविधा का लाभ उठाकर, कार्डधारक, बैंक को कार्ड के उपयोग द्वारा निष्पादित लेनदेनों को करने के लिए स्पष्ट प्राधिकार प्रदान करता है। पिन के माध्यम से किए गए लेनदेन के अलावा अन्य लेनदेन की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए बैंक का कोई दायित्व नहीं होगा।

14.7 बैंक किसी भी परिस्थिति में हानि या क्षति के लिए किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, परिणामी, और चाहे कोई दावा राजस्व, निवेश, उत्पादन, सद्भावना, लाभ, रुकावट, व्यवसाय की हानि या किसी भी चरित्र या प्रकृति के किसी अन्य नुकसान और चाहे कार्डधारक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाए रखा गया हो।

14.8 प्रतिबंधों के कारण कार्ड में जमा की गई निधियों की अनुपलब्धता के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा परिवर्तनीयता या हस्तांतरणीयता, मांग, अनैच्छिक स्थानांतरण, युद्ध या नागरिक संघर्ष या अन्य के कृत्यों पर बैंक के नियंत्रण से परे समान कारण, जिस परिस्थिति में बैंक की कोई अन्य शाखा, सहायक या संबद्ध इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

## 15. भुगतान से इनकार करने की क्षमता

15.1 कानून द्वारा अन्यथा आवश्यक के अलावा, यदि बैंक को कोई प्रक्रिया, समन, आदेश, निषेधाज्ञा प्राप्त होती है, निष्पादन, व्यभिचार, लेवी, ग्रहणाधिकार, सूचना या नोटिस जिसे बैंक सद्भावपूर्वक मानता है कार्डधारक की क्षमता, कार्ड, बैंक पर अपने विवेक पर और दायित्व के बिना लेनदेन करने पर सवाल उठाएं कार्डधारक को अपने धन के किसी भी हिस्से को प्राप्त करने के लिए, या बैंक, इस तरह के धन का भुगतान एक को कर सकता है

उपयुक्त प्राधिकारी और लागू कानून द्वारा आवश्यक कोई अन्य कदम उठाएं।

15.2 बैंक कार्ड पर उपलब्ध राशि से एक उचित सेवा में कटौती करने का अधिकार सुरक्षित रखता है शुल्क और बैंक द्वारा किए जाने वाले किसी भी खर्च, जिसमें बिना किसी सीमा के उचित कानूनी शुल्क शामिल है, कानूनी के कारण कार्ड से जुड़ी कार्रवाई।

## 16. कार्ड की समाप्ति

16.1 यदि कार्डधारक कार्ड के उपयोग को समाप्त करने का निर्णय लेता है, तो कार्डधारक बैंक को कम से कम 7 दिन पूर्व सूचना लिखित रूप में और आगे गिफ्ट कार्ड बैंक को वापस करने और उसकी वैध रसीद प्राप्त करने के लिए सूचित किया जाना चाहिए। इस तरह की समाप्ति को बैंक द्वारा कार्डधारक को दी गई सभी सुविधाओं की समाप्ति भी माना जाएगा।

16.2 यदि कार्डधारक द्वारा कार्ड को नष्ट करने के दावे के बाद कार्ड पर शुल्क लगाया जाता है, तो कार्डधारक कार्ड पर किए गए शुल्कों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा, चाहे वह दुरुपयोग का परिणाम हो या न हो और बैंक को कार्ड नष्ट होने की सूचना दी गई हो या नहीं।

16.3 बैंक कार्ड सहित या उसके बिना कार्ड को रद्द करके समय पर इस सुविधा को बंद करने का हकदार होगा कोई भी कारण निर्दिष्ट करना और 7 दिनों का नोटिस देकर और द्वारा प्राप्त माना जाएगा भारत में कार्डधारक के पते पर 7 दिनों की पोस्टिंग वाले कार्डधारक, अंतिम बार लिखित रूप में अधिसूचित खाता होना।

## 17. क्षतिपूर्ति

17.1 कार्डधारक बैंक, उसके ग्राहकों या तृतीय पक्ष को हुई किसी भी हानि या कार्डधारक द्वारा कार्ड सुविधा के उपयोग के संबंध में किसी तृतीय पक्ष द्वारा किए गए किसी भी दावे या कार्रवाई के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और बैंक को हानिरहित रखेगा। कार्डधारक सहमत है बैंक को सभी देनदारियों, हानियों, क्षतियों और खर्चों के लिए क्षतिपूर्ति करना, जो बैंक को बनाए रख सकता है या खर्च कर सकता है

या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके परिणामस्वरूप:

- कार्डधारक की लापरवाही/गलती या कदाचार
  - कार्ड से संबंधित नियमों/नियमों और शर्तों का उल्लंघन या गैर-अनुपालन
  - कार्डधारक या उसके कर्मचारियों/एजेंटों द्वारा किसी भी लेनदेन से संबंधित धोखाधड़ी या बेईमानी
  - ऑनलाइन व्यापारी, ईडीसी और इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल मशीन हैं और त्रुटियां हो सकती हैं।
- परिचालन

17.2 कार्डधारक ऐसी किसी मशीन/यांत्रिक त्रुटियों/विफलताओं के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होगा। बैंक सुविधा प्रदान करने या किसी भी कारण के लिए नियमों और शर्तों का पालन करने में किसी भी विफलता के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा जो बैंक के नियंत्रण से बाहर है। कार्डधारक को कार्ड की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक को ध्यान में रखते हुए, कार्डधारक एतद्वारा बैंक को सभी कार्यों, दावों, मांगों, कार्यवाही, हानियों, क्षतियों, व्यक्तिगत चोट, लागतों, प्रभारों और व्ययों से क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होता है जो बैंक किसी भी समय कार्डधारक को कार्ड की उक्त सुविधा प्रदान करने के परिणामस्वरूप या उसके द्वारा वहन किए जाने, बनाए रखने, भुगतने या उत्पन्न होने वाले किसी भी समय वहन कर सकता है, बनाए रख सकता है, भुगत सकता है या डाल सकता है बैंक द्वारा नेकनीयती से

कार्य करने, लेने या मना करने या कार्डधारक के निर्देश पर कार्रवाई करने से चूकने का कारण। कार्डधारक एतद्वारा बैंक को किसी भी दायित्व (सिविल या आपराधिक), हानि, लागत, व्यय या क्षति के खिलाफ पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करता है जो कार्ड के नुकसान या दुरुपयोग के कारण उत्पन्न हो सकती है, यदि यह खो गया है और बैंक को सूचित करने से पहले बैंक को सूचित नहीं किया गया है या खो गया है और दुरुपयोग किया गया है।

## 18. विविध

18.1 कार्डधारक को बिना शर्त इन शर्तों के लिए सहमत और स्वीकार किया गया माना जाएगा और या तो कार्ड आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करके, और कार्ड की प्राप्ति को स्वीकार करके कृतियाँ।

18.2 बैंक कार्ड पर दी जाने वाली नीतियों, विशेषताओं और लाभों को संशोधित करने और बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है

समय-समय पर ये नियम और शर्तें और उन पर अद्यतन नियम और शर्तें होंगी

[www.axisbank.com](http://www.axisbank.com) एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया। कार्डधारक ऐसे से बाध्य होगा परिवर्तन जब तक कार्ड उस तारीख से पहले रद्द करने के लिए बैंक को वापस नहीं किया जाता है जिस पर कोई भी परिवर्तन का प्रभाव होना है।

18.3 ये शर्तें कार्डधारक और बैंक के बीच एक अनुबंध बनाती हैं। सेवा स्वीकार करके, कार्डधारक इन नियमों और शर्तों को स्वीकार करता है।

18.4 बैंक नीचे सूचीबद्ध उद्देश्यों/कारणों सहित (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) परिवर्तन कर सकता है:

- केवल गिफ्ट कार्ड के उपयोग से संबंधित शुल्क लगाना या बढ़ाना
- अपने कार्ड के साथ लेनदेन से संबंधित नुकसान के लिए कार्डधारक की देयता बढ़ाएं

18.5 बैंक बिना किसी सूचना के भी परिवर्तन कर सकता है यदि परिवर्तन बनाए रखने या पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक है

कार्ड लेनदेन के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या उपकरण की सुरक्षा। यदि ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो कार्डधारक को 30 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा, जब तक कि प्रकटीकरण इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली या उपकरण की सुरक्षा को खतरे में न डाले।

18.6 इनकी अधिसूचना और कोई अन्य परिवर्तन बैंक द्वारा एक्सिस बैंक की वेबसाइट के माध्यम से कार्डधारक को वितरित करने के लिए दिया जा सकता है [www.axisbank.com](http://www.axisbank.com)

18.7 बैंक कार्डधारक को डाक द्वारा इन नियमों और शर्तों में परिवर्तन की सूचना भी दे सकता है एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर भी ऐसा ही है।

18.8 ये नियम और शर्तें होंगी; ए) किसी भी पहले किए गए प्रस्तावों, अभ्यावेदन पर प्रबल होकर, समझ और समझौते, व्यक्त या निहित, या तो मौखिक या लिखित रूप में और, बी) इसके अलावा लागू होते हैं जमा खाते के लिए बैंक के सामान्य नियम और शर्तें और बैंक की किसी भी अन्य शर्तें और शर्तें अन्यथा लागू। हालांकि संघर्ष के मामले में, गिफ्ट कार्ड के लिए ये नियम और शर्तें गिफ्ट कार्ड सुविधा के तहत लेनदेन के संबंध में सुविधा मान्य होगी।

## 19. कानून का अनुपालन

एक्सिस बैंक द्वारा पेश किया गया गिफ्ट कार्ड उत्पाद ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है

भारतीय रिजर्व बैंक और उपहार से संबंधित प्रावधानों सहित विनियामक और / या सांविधिक प्राधिकरण कार्ड नियामक आवश्यकता और/या एक्सिस बैंक की आंतरिक नीति के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। गिफ्ट कार्ड की सुविधा

बशर्ते कि यहां और ये नियम और शर्तें लागू कानून और विनियमों के अधीन हैं और किसी भी समय प्रचलित कानून या विनियमन के आधार पर संशोधित या बंद कर दिया जाए और बैंक किसी भी दायित्व या दायित्व के तहत नहीं होगा या उक्त कार्ड सुविधा का कार्यान्वयन जारी नहीं रखेगा जब तक कि ऐसा नहीं हो जाता

उस समय प्रचलित या संशोधित कानून के अनुसार शर्तों को संशोधित किया जाता है। घटना में, कि किसी भी बिंदु पर प्रचलित कानून के पूर्ण अनुपालन के बिना कार्ड सुविधा जारी नहीं रखी जा सकती है समय, इस समझौते / नियमों और शर्तों को तारीख से तुरंत समाप्त माना जाएगा जब व्यवस्था को प्रतिबंधित या निषिद्ध करने वाला संशोधित कानून लागू होता है।

## **20. शासी कानून और अधिकार क्षेत्र**

ये नियम और शर्तें और/या लेनदेन भारतीय कानून और सभी अदालतों द्वारा शासित होंगे कार्ड के उपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या मामलों के संबंध में मुंबई के पास अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।